न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी	–:	जयराम जाट, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी प्र.सं.	–:	117/2016(331/07) **(प्राथमिकी 494/07 पुलिस थाना कोत.पाली)**
CIS Number	–:	**1071/2014**
CNR Number	–:	RJPL020000012007

राजस्थान राज्य

––अभियोगी

बनाम

1. हसन अली उर्फ चैची पुत्र चांद खां, उम्र 21 वर्ष, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पाली।
2. रमेश उर्फ जान पुत्र चेतन मराज, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पाली। **(निर्णय दि. 21.03.17)**

––अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य पक्ष की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री प्यारे खां – अभियुक्त हसनली उर्फ चैची की ओर से।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 26.09.2024

1– यह प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली, पाली द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 22.10.2007 को श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली के न्यायालय में संस्थित हुआ जहां से कालान्तर में अन्तरित होकर इस न्यायालय में दर्ज हुआ।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है दिनांक 06.10.2007 को परिवादी सुरेन्द्रसिंह अध्यापक उमरावचन्द अमोलकचंन्द राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टेगोर नगर, पाली ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पुलिस थाना कोतवाली, पाली में एक आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 25.08.2007 को सुबह विद्यालय खुलने पर पता चला कि दिनांक 24.08.2007 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा स्कुल का ताला तोडकर दो पराते, डेगची सिल्वर ढक्कन सहित, पीतल का बडा भगोला ढक्कन सहित, एल्युमिनियम का बडा भगोला ढक्कन सहित व दो कट्टे पचास किलो आटा चोरी कर ले गये। उक्त सभी बर्तन पर स्कुल का नाम लिखा हुआ है। आज

अखबार में पढा कि विद्यालय चोरी का गिरोह पकडा है तब रिपोर्ट की...इत्यादि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली पाली में मुकदमा संख्या 494/07 अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण रमेश उर्फ जान व हसन अली उर्फ चैची के विरूद्ध यह आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय में पेश किया गया।

3– प्रकरण में अभियुक्त रमेश उर्फ जान का निर्णय दिनांक 21.03.2017 को किया जा चुका है। शेष रहे अभियुक्त हसन अली उफ चैची का निर्णय किया जा रहा है।

4– अभियुक्त हसन अली उर्फ चैची को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू.1 सुरेन्द्रसिंह, पी.डब्ल्यू.2 सुनीता, पी.डब्ल्यू.3 कृष्णचन्द, पी.डब्ल्यू.4 आशा सोनी, पी.डब्ल्यू.5 चतुर्भुज, पी.डब्ल्यू.6 रमेश, पी.डब्ल्यू.7 जोगेन्द्रकुमार, पी.डब्ल्यू.8 विजयसिंह, पी.डब्ल्यू.9 मनोहरसिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.1, नक्शा मौका प्रदर्श पी.2, फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी.3, पर्चा चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.4, फर्द जब्ती प्रदर्श पी.5 व प्रदर्श पी.6, नक्शा नजरी बरामदगीस्थल प्रदर्श पी.7, फर्द ईतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.8, फर्द गिरफतारी अभियुक्त रमेश उर्फ जान प्रदर्श पी.8, फर्द गिरफतारी अभियुक्त हसन अली उर्फ चैची प्रदर्श पी.9 व फर्द ईतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.9 को प्रदर्शित करवाया गया।

6– अभियुक्त हसन अली उर्फ चैची के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने गवाह के कथनों को गलत होना बताते हुए प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना चाहा।

7– बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में एफ.आई.आर. नामजद नहीं है, बरामद माल की शिनाख्ती नहीं करवाई गई है तथा मौका तस्दीक की कोई सकारात्मक साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। अतः अभियेाजन का माला संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः अभियुक्त हसन अली उर्फ चैची को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावें। जबकि इसके विपरित विद्वान सहायक अभियेाजन

अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तु साक्ष्य के आधार पर मामला संदेह से परे साबित होने से दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

8– प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है किः–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.08.2007 को रात्रि में किसी समय टैगोर नगर पाली स्थित अमरावचन्द अमोलकचंद डागा राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सह–अभियुक्त के साथ चोरी करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह भेदन किया तथा स्कुल में रखें एल्युमिनियम की दो परातें, डेगची, सिल्वर ढक्कन सहित पीतल व एल्युमिनियम के भगोले आदि परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी की?

2. यदि हॉ तो दण्ड?

9– उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में अभियेाजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार है कि परिवादी पी.डब्ल्यू.1 सुरेन्द्रसिंह ने दिनांक 06.10.2007 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 25.08.2007 को सुबह विद्यालय खुलने पर पता चला कि दिनांक 24.08.2007 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा स्कुल का ताला तोडकर दो परातें, डेगची सिल्वर ढक्कन सहित, पीतल का बडा भगोला ढक्कन सहित, एल्युमिनियम का बडा भगोला ढक्कन सहित व दो कट्टे पचास किलो आटा चोरी कर ले गये। उक्त सभी बर्तन पर स्कुल का नाम लिखा हुआ है। आज अखबार में पढा कि विद्यालय चोरी का गिरोह पकडा है तब रिपोर्ट की। परिवादी पी.डब्ल्यू.1 सुरेन्द्रसिंह ने मुख्य परीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कथन किया। प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। परिवादी की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाएं तो परिवादी ने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि एक चोर पकडा गया था, उसके पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी,इससे अभियेाजन साक्ष्य में संदेह उत्पन्न होता है। परिवादी से बरामद सामान की शिनाख्ती करवाये जाने का अंकन फर्द बरामदगी है परन्तु परिवादी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि चुराये गये सामान की उससे शिनाख्ती नहीं करवाई गई। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मौका देखा। प्रकरण में नक्शा मौका पी.डब्ल्यू.2 सुनीता व गवाह भंवरलाल के समक्ष देखा गया। गवाह पी.डब्ल्यू.2 सुनीता चोरी का नक्शा मौका देखें जाने का कथन किया है तथा गवाह भंवरलाल की मृत्यु होने के कारण वह अभियोजन साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य से यह प्रथमदृष्टया दर्शित होता है

कि दिनांक 24.08.2007 को उमरावचन्द अमोलकचंन्द राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टेगोर नगर, पाली में चोरी हुई है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.10.2007 को अर्थात् दो–ढाई माह बाद दर्ज कराई गई। उक्त देरी का कोई न्यायोचित कारण परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व मुख्य परीक्षण में नहीं बताया है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट चोर गिरोह का पता लगने के बाद दर्ज की गई है, ऐसा प्रथमदृष्टया दर्शित होता है कि चोरीसुदा सामान पूर्व में बरामद हो चुका था। चोरी के मामलों में बरामदगी महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 8 विजयसिंह ने अभियुक्त रमेश उर्फ जान को जरिये फर्द प्रदर्श पी.8 व अभियुक्त हसन अली उर्फ चैची को जरिये फर्द प्रदर्श पी.9 के रूबरू मौतबिरान जोगेन्द्रकुमार व मनोहरसिंह के गिरफतार किया गया। प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू.9 मनोहरसिंह ने अभियुक्त को अपने सामने गिरफतार किये जाने का कथन किया है परन्तु उक्त गवाह मात्र औपचारिक साक्षी है। अनुसंधान अधिकारी पी.डल्यू.8 विजयसिंह ने अभियुक्त रमेश उर्फ जान की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईतिला के अनुसार जरिये फर्द प्रदर्श पी.6 व प्रदर्श पी.7 फर्द बरामदगी व नजरी नक्शा के चुराया हुआ सामान बरामद हुआ। प्रकरण में अभियुक्त रमेश उर्फ जान का दिनांक 21.03.2017 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.8 विजयसिंह ने रूबरू मौतबिरान रमेश व जोगेन्द्र के सामने अभियुक्त हसन अली से एक छोटी परात एल्युमिनियम की करणी कॉलोनी के पास स्थित नदी की रेत में छिपाई हुई बरामद की थी जो बरामदगी दिनांक 10.10.2007 को की गई थी। प्ररकण में बरामदगी के गवाह पी.डब्ल्यू.6 रमेश पक्षद्रोही घोषित हुआ और उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया। प्रकरण में अन्य बरामदगी का गवाह पी. डब्ल्यू.7 जोगेन्द्रकुमार पुलिस कर्मचारी जिसने अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए अभियुक्त हसन अली से जरिये फर्द प्रदर्श पी.5 के दो पराते बरामद करने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया कि बरामदगी स्थल खुला स्थान है जहां कोई भी आ जा सकता है। बरामदा माल आज न्यायालय में नहीं है। ऐसे भगोले व पराते बाजार में मिलते है। यह गलत है कि भगोलो व परातो पर कोई नाम व चिन्ह नहीं हो बल्कि स्कुल का नाम अंकित था। गिरफतारी के समय अभियुक्तगण जिला कारागृह पाली में थे, प्रोडक्शन वारण्ट पर लिया था। इस गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाएं तो गवाह ने कथन किया कि बरामदगी खुले स्थान से हुई है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि

बरामदगीस्थल खुला स्थल था जो एकमात्र अभियुक्त के चैतन्य कब्जे में नहीं था। इससे भी बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है। गवाह पी.डब्ल्यू.8 विजयसिंह ने बाद अनुसंधान अभियुक्त हसन अली उर्फ चैची व रमेश उर्फ जान के विरूद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त हसन अली को जरिये फर्द प्रदर्श पी.9 के गिरफतार किया था तथा जरिये फर्द प्रदर्श पी.5 के मौतबिरान रमेश व जोगेन्द्रकुमार के रूबरू अभियुक्त हसन अली से दिनांक 10.10.2007 को नदी की रेत से पराते बरामद की गई। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त की ईतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर अभियुक्त से सामान बरामद किया जबकि पत्रावली पर प्रदर्श पी.9 फर्द ईतिला मौजुद है जिस पर अभियुक्त हसन अली के हस्ताक्षर है। प्रकरण में बरामदगी के गवाह पी.डब्ल्यू.6 रमेश जो कि स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह था जो पक्षद्रोही घोषित हुआ है। पी.डब्ल्यू.7 जोगेन्द्रकुमार बरामदगी का गवाह व पुलिस कर्मचारी है तथा खुले स्थान से बरामदगी होना बताया है। उक्त बरामदसुदा सामान पर विशेष पहचान संबंधित चिन्ह अंकित होने से इंकार किया है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.8 विजयसिंह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी.3 बनाया उस समय मौके पर घटना के अलामात नहीं पाये गये। बरामदगीस्थल प्रदर्श पी.7 है जो दोनों मुलजिमान का एक ही था। यह गलत है कि बरामदगीस्थल पर लोगों का आना जाना हो, वह नदी थी। बरामदा माल आज न्यायालय में नही है। प्रदर्श पी.5 में परात का वजन व साईज लिखी हुई नहीं है। बरामदा माल बाजार में मिलता है परन्तु उन पर स्कुल का नाम लिखा हुआ था। मुलजिम हसन को प्रोडक्शन वारण्ट पर जेल से लिया था। इस गवाह के बयानों का विश्लेषण करें तो स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने स्वीकार किया कि उक्त बरामदगी स्थल खुला स्थान है जहां कोई भी आ जा सकता है। इस प्रकार बरामदगीस्थल पर एकमात्र अभियुक्त का ही कब्जा हो, यह अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। प्रकरण में चोरी होने के दो माह बाद बरामदगी हुई व वह भी खुले स्थल पर जिससे बरामदगी संदेहास्पद हो जाती है। वक्त बरामदगी अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में थे तथा प्रोडक्शन वारण्ट के आधार पर गिरफतार किया था जिससे भी बरामदगीस्थल अभियुक्त के चैतन्य कब्जे में हो, यह अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। प्रकरण में अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.4 आशा सोनी जो प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थी जिसने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से

स्वीकार किया कि माल किससे पुलिस ने बरामद किया, उसे पता नहीं। माल कौन ले गया, पता नहीं। इस गवाह की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाएं तो स्पष्ट होता है कि परिवादी से चोरी गये माल की शिनाख्ती नहीं करवाई गई। प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू.5 चतुर्भुज जो कायमी मुकदमा का गवाह है जो मात्र औपचारिक है।

10– इस प्रकार समस्त अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण किया जाएं तो परिवादी सुरेन्द्रसिंह ने चोरी होने के दो माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई तथा बरामदगी स्थल खुला स्थल है जिस पर कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता है। बरामदगी स्थल पर अभियुक्त का एकमात्र चैतन्य कब्जा हो, यह अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। बरामदगी का गवाह पी.डब्ल्यू.6 रमेश पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा प्रकरण में पी.डब्ल्यू.7 जोगेन्द्रकुमार जो बरामदगी का गवाह है जो पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है जिसने भी स्वीकार किया है कि बरामदसुदा सामान पर पहचान संबंधी कोई विशेष चिन्ह नहीं था तथा खुले स्थल से बरामदगी हुई। प्रकरण दर्ज होने से पहले यह अभियुक्त अन्य प्रकरण में जिला कारागृह, पाली में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था तथा प्रोडक्टशन वारण्ट से प्राप्त कर अभियुक्त से चोरी गया सामान बरामद करने का कथन किया है परन्तु बरामदगी स्थल खुला स्थल है तथा बरामदगीस्थल पर एकमात्र अभियुक्त का ही कब्जा हो तथा उक्त बरामद सामान बाजार में उपलब्ध रहता है। अतः अभियोजन साक्ष्य से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत नहीं होता है कि उमरावचन्द अमोलकचंन्द राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टेगोर नगर, पाली से चोरी हुआ सामान पराते वगैरह अभियुक्त से बरामद हुई हो।

11– लिहाजा उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.08.2007 को रात्रि में किसी समय टैगोर नगर पाली स्थित अमरावचन्द अमोलकचंद डागा राजकीय माध्यमिक विद्य ालय में सह–अभियुक्त के साथ चोरी करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक गृह भेदन किया तथा स्कुल में रखें एल्युमिनियम की दो पराते, डेगची, सिल्वर ढक्कन सहित पीतल व एल्युमिनियम के भगोले आदि परिवादी की सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी की। अतः अभियुक्त हसन अली उर्फ चैची को अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:–आदेश–:

12– परिणामस्वरूप अभियुक्त हसन अली उर्फ चैची पुत्र चांद खां, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, पाली को अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13– अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437ए सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत 6 माह की अवधि के लिए 10,000/– रुपये का जमानतनामा व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हे तलब किए जाने पर वे न्यायालय में उपस्थित आएगे।

14– प्रकरण में जब्तशुदा सामान न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी पर दिये हुए हैं, जो सुपुर्दगीदार के पास ही रहें। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील अवधि नियमानुसार स्वतः निरस्त समझे जावें। अगर सामान सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर नहीं लौटाये गये तो उक्त बरामदसुदा सामान उमरावचन्द अमोलकचन्द राजकीय माध्यमिक विद्यालय, टैगोर नगर, पाली को लौटाया जावें।

15– अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः अभियुक्त का रिहाई आदेश पृथक से जारी हो।

16– अभियुक्त रमेश उर्फ जान का निर्णय पूर्व में दिनांक 21.03.2017 को किया जा चुका है।

(जयराम जाट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।

17– निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयराम जाट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।